श्री सच्चिदानंद राय, माननीय स0वि0प0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या 1/212/658 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र0सं0 | तारांकित प्रश्न सं0–1/212/658 | उत्तर प्रतिवेदन |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह सही है कि सारण जिला के बनियापुर प्रखंड अंतर्गत लौवां कला पंचायत में स्थित "हरपुर उप–वितरणी" नहर जो कि पाँच पंचायतों को सिंचाई प्रदान करती है जर्जर अवस्था में है; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>वस्तुस्थिति यह है कि:–<br>• सारण जिला के बनियापुर प्रखंड अन्तर्गत हरपुर उप वितरणी नहर छपरा शाखा नहर के कि0मी0 53.80 से निःसृत है। |
| 2 | क्या यह सही है कि उक्त उप–वितरनी का पक्कीकरण नहीं होने के कारण सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होती है तथा किसानों को फसल उत्पादन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है; | • यह उपवितरणी लौवां कला ग्राम से रूसी ग्राम तक कुल 5.18 कि0मी0 की लंबाई में है, जिससे कमांड क्षेत्र में किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है।<br>• इस उपवितरणी के सुदृढ़ीकरण का कार्य वर्तमान में कार्यान्वित योजना पश्चिमी गंडक नहर पुनर्स्थापन (ई0आर0एम0) कार्य अन्तर्गत कराया गया है।<br>• वर्तमान में आंशिक रूप से कहीं–कहीं गाद, जंगल–झाड़ उग जाने के कारण उक्त उप–वितरणी के रूपांकित जलश्राव क्षमता में आंशिक कमी आयी है, जिसे खरीफ ~~सिंचाई से पूर्व मौसमी मजदूरों की सहायता~~ से ठीक करा लेने हेतु मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान को निदेशित कर दिया गया है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त हरपुर उप–वितरनी के पक्कीकरण/ सुद्दढ़ीकरण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों? | इस उपवितरणी के सुदृढ़ीकरण का कार्य वर्तमान में कार्यान्वित योजना पश्चिमी गंडक नहर पुनर्स्थापन (ई0आर0एम0) कार्य अन्तर्गत कराया गया है, इस योजना में इसके पक्कीकरण का प्रावधान नहीं है। |

**बिहार सरकार**
**<u>जल संसाधन विभाग</u>**

**ज्ञापांक–25/वि0प0प्र0(सि0)–06–10/2026–** **पटना, दिनांक–**

**प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को 212वें सत्र से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–01/212/658 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।**

**ह0/–**
**(अनिल कुमार गुप्ता)**
**संयुक्त सचिव**

Desktop-R.M.F./2025/Sec-25/memo

(1)

ज्ञापांक–25 / वि0प0प्र0(सि0)–06–10 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0प्र0(सि0)–06–10 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0प्र0(सि0)–06–10 / 2026– 1026 पटना, दिनांक– 26/02/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25.02.2026
(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
25.02.26